यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद संख्या 56/2015

1 राजमल पुत्र रणजीत आयु 21 साल

2 नीतु पुत्री रणजीत आयु 25 साल पत्नि हस्तीमल जी

जाति जाट निवासी मसूदा तहसील मसुदा जिला अजमेर राज0।

बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 नन्दराम वल्द तेजाराम, रणजीत

वल्द नन्दराम जाति जाट निवासी गांव मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

.....वादीगण

बनाम

1 सांवरलाल पुत्र नन्दराम जी

2 हरचन्द पुत्र नन्दराम जी

3 श्रीमति शेरी पुत्री नन्दराम जी

4 श्रीमति पारसीदेवी पत्नि नन्दराम

समस्त जाति जाट निवासी गांव मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

5 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार, मसूदा।

6 राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक मसूदा।

7 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर ।

.....प्रतिवादीगण

8 श्रीमति मीरादेवी पत्नि रणजीत नातायत पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी गांव बुदवाडा

तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 .....तरतीबीप्रतिवादीगण

वाद वास्ते धोषणा हक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरस्ती अन्तर्गत
धारा 88,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

श्रीपंकज गदिया
एडवोकेट वादी
उपस्थित

निर्णय

वादीगण ने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा द्वितीय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2059–62 के खाता स0 244 कुल खसरा किता 12 रकबा 23–19–10 बीघा व खाता 245 किता 2

रकबा 1–13–00 बीघा व खाता स0246 किता 4 रकबा 8–09–00 बीघा तथा खाता स0 243 के खसरा न0 4055 रकबा 3–14–00 बीधा विवादित भूमियो में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 से 4 के पूवर्ज नन्दराम वल्द तेजाराम जाति जाट अन्य सह खातेदारान के साथ सहखातेदार थे। नन्दराम वल्द तेजाराम के वारिसान में उनकी पत्नि पारसीदेवी पुत्रान रणजीत, सावरलाल, हरचन्द व पुत्री शेरी है। इनमें से रणजीत का निधन नंदराम के जीवन काल में दिनांक 30–4–1997 को हो गया और उनकी पत्नि एवं वादीगण की माता श्रीमती मीरा देवी अपने मासूम बच्चों को छोडकर ग्राम बुद्वंवाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर निवासी रामलाल के नाते चली गई अतः इसके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा जा रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 से 4 के पूर्वज नंदराम वल्द तेजाराम का निधन दिनांक 10–12–2005 को ग्राम मसूदा में हो जाने के बाद से उनके द्वारा छोड़ी गई पुश्तेनी विवादित भूमियो पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 से 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आता है। इसलिए वादीगण अपनी नाबालिका अवस्था से अपने परिवारजन पर भरोसा करके चलते रहे है कि उनका नाम भी विवादित आराजी में लगवा दिया होगा। लेकिन वादीगण द्वारा बालिक होने पर राजस्व अभिलेख की नकलें निकलवाने पर जानकारी हुई प्रतिवादी स0 1 से 4 ने गुपचुप तरीके से नामांतकरण स0 564 दिनांक 20–02–2008 बावजुद विवादित आराजी में वादीगण के पिता का 1/5 हिस्सा होने के अकेले अपने नाम खुलवा लिया है और वादीगण का नही लगवाया है। जिस बाबत प्रतिवादीगण से निवेदन करने पर भरोसा दिलवाते हुए कतई मना कर दिया हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से को दीगर व्यक्तियों को हस्तांरित कर सकते है। जिसके उन्हें अधिकार नही है इसलिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्कता हुई है अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह धोषित किया जावे कि विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1से 4 की पैतृक पुश्तैनी भुमिया है जिनमें 1/5 हिस्से से वादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त खातेदार है जिन्हे प्रतिवादी स0 1से 4 ने गलत रूप से अपने नाम लगवा ली है जिसे वादीगण अपने 1/5 हिस्से की सीमा तक निरस्त करवाने के अधिकारी है अतः प्रतिवादी स0 1 से 5 को पुरी वाद ग्रस्त आराजी को बचाने के अधिकार नही है ऐसे किसी बेचान से वादीगण पाबंद नही है तथा वादीगण विवादित आराजी में 1/5 हिस्से से खातेदार काश्तकार होकर काबिज है साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के 1/5 हिस्से की अराजी को बेचान हस्तांतरण एवं भारग्रस्त आदि करने से निषेध किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1से 4 पर बावजूद तामीली सम्मन के अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की गई पैरोकार प्रतिवादी स0 5,6,7 की ओर से जवाब दावा पेश होने पर 4 तनकियात कायम की गई। शहादत वादी में वादी राजस्व वल्द रणजीत ने अपने शपत्र पत्र में वाद कथन ही दोहराए है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजात पर प्रदर्श 1 से 23 अंकित कियें है। वाद पत्र पर बहस विव्दान अभिभाषक वादीगण एवं पैरोकार प्रतिवादी स0 5 से 7 सुनी गईं। उनके तर्क विर्तक उनके वाद कथन एवं प्रतिवाद कथनानुसार ही रहें है। दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद एवं प्रतिवाद कथनों तथा बहस पर विवेचन करने पर प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार तय किया जाता है।

तनकी 1 आया वादीगण अपने दादा स्व0 नंदा पुत्र तेजा द्वारा विरासत से छोड़ी गई विवादित भूमियो में अपने पिता स्व0 रणजीत पुत्र नंदा के 1/5 हिस्से की अराजी में खातेदारी काश्तकार होने की धोषण करवाने के अधिकारी है?

इसका भार वादीगण पर रहा है ओर उन्होनें इसे साबित करने के लिए ग्राम मसूदा द्वितिय की जमाबंदी स0 2059 से 2062 के खाता स0 244 प्रमाणित प्रति जिसमें कुल खसरा किता 12 रकबा 23–19–00 बीघा प्रदर्श 1 तथा खाता स0 245 की प्रमाणित प्रति जिसमें कुल खसरा किता 2 रक्बा 1–13–00 बीघा प्रदर्श 2 पेंश की है जिसमें नंदराम, छगना, रामनाथ, पिता तेजा सह खातेदारान है तथा इनमें नामान्तकरण स0 564 दिनांक 20–02–2008 से प्रतिवादी स0 1 से 4 के नाम का अमल किया गया है। खाता स0 246 कि प्रमाणित प्रति जिसमें खसरा किता 4 रक्बा 08–09– 00 बीघा अकेले नंदराम वल्द तेजा की खातेदारी में दर्ज हैं प्रदर्श 2 हैं। खाता स0 243 ख0 न0 4055 रक्बा 13–14–00 बीघा की प्रमाणित प्रति में नंदराम,छगना, रामनाथ पिता तेजा का 1/6 हिस्सा दर्ज है इस पर प्रदर्श अंकित नही

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

किया गया हैं। प्रदर्श 11 ग्राम पंचायत ,मसूदा द्वारा पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव स0 2 दिनांक 6–7–2015 से पारित प्रस्ताव की पालना में जारी वारिसान प्रमाण पत्र है जिसके अनुसार स्वः नंदराम वल्द तेजा राम के वारिसान में उसकी पत्नि पारसी पुत्रान रणजीत ,सांवरलाल ,हरचन्द व पुत्री शेरी का होना बताया है।तथा पुत्र स्व रणजीत के वारिसान में उसकी पत्नि मीरादेवी व पुत्री नीतु तथा पुत्र राजमल को बताया गया है। इसके विपरित नामान्तरण स0 564 में मृतक नंदराम वल्द तेजा के वारिसान सांवरलाल, हरचन्द पिता नंदराम व शेरी पुत्री नंदरांम व मु0पारसी पत्नि स्व0नंदराम के नाम यह नामान्तकरण तहसीलदार मसूदा द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रदर्श 13 नंदराम वल्द तेजा राम जाट का मृत्यु प्रमाण पत्र हैं। तथा प्रदर्श 14 स्व0 रणजीत पुत्र नंदराम जाट का मृत्यु प्रमाण पत्र है प्रदर्श 15 चुनाव अयोग द्वारा प्रदृत स्व0 रणजीत वल्द नंदराम का पहचान पत्र है तथा प्रदर्श 16 राजमल वल्द रणजीत का राशन कार्ड है ऐसे दस्तावेज है जिन से यह साबित है कि स्व0 रणजीत स्व0 नंदराम तेजा का पुत्र था इसलिए वादीगण रणजीत के पुत्र पुत्री होने से अपने दादा स्व0 नंदराम पुत्र तेजा द्वारा विरासत से छोड़ी गई विवादित भूमियो में1/5 हिस्से के खातेदार होने की धोषणा करवाने के अधिकारी पायें जाते है तनकी बहक वादी गण विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी 2 आया वादीगण विवादित अराजी में अपने 1/5 हिस्से की अराजी में दखलंदाजी आदी से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है?

इसका भार भी वादीगण पर रहा है। जब वादीगण तनकी स0 1 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है तो वे अपने दादा नंदराम से विरासत से प्राप्त विवादित भूमियो में अपनी 1/5 हिस्से की आराजी के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराने के अधिकारी पाये जाते है अतः तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी 3 आया प्रतिवादीगण विवादित की माता श्रीमती मीरा बेवा रणजीत के नाते चले जाने से विवादित अराजी में उसके अधिकार समाप्त नहीं होते?

इसे साबित करने का भार प्रतिवादी स0 5 से 7 पर रहा है लेकिन उनके द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के पद स0 2 में किये गये कथन की साबित के लिए कोई कानूनी नजीर आदी पेश कर अपने कथन को साबित नहीं किया है। केवल मोखिक कथन से यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष साबित नही पाई जाती वह भी उस स्थिति में जब रणजीत की बेवा प्रतिवादी स0 8 ने अपने नातायत पति से संताने पेदा कर दी है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 8 के स्व0 नन्दाराम वल्द तेजा के उतराधिकार से छोड़ी गई भूमियों में कोई हक व स्वत्व नही रह जाते अतः तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

4 अनुतोष ?

सभी तनकियात के निर्णय पर वादीगण स्व0 नंदराम वल्द तेजा के स्व0 पुत्र रणजीत की जायन्दा पुत्र पुत्री होने से वे अपने दादा द्वारा छोड़ी गई सम्पतियों में 1/5 हिस्से के खातेदारी होने की धोषणा करवाने के अधिकारी पायें जातें है इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा–

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर ग्राम मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 796, 800, 801, 546, 547, 550, 644, 898, 899 व 802 की आराजीयात बाबत् यह धोषित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सं 4 के पूर्वज स्व0

नंदराम वल्द तेजा जाट के हिस्से की उतराधिकार से प्राप्त पुश्तेंनी भूमियों है अतः ग्राम मसूदा द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 796 की अराजी कुल खसरा किता 12 रकबा 23–19–10बीघा व खाता संख्या 800 खसरा न0 4055 रकबा 3–14–00बीघा व खाता संख्या 801 कुल खसरा किता 2 रकबा 1–13–00 बीघा व खाता संख्या 546 कुल खसरा किता 3 रकबा 23–12–10बीघा व खाता संख्या 547 कुल खसरा किता 4 रकबा 7–12–00बीघा व संख्या 550 ख0न0 4005/1 रकबा 5–10–00 बीघा खाता संख्या 644 ख0 न0 4017 रकबा 5–02–00 बीघा व खाता संख्या 898 ख0 न0 4002/2 रकबा 0–08–00बिस्वा व खाता संख्या 899 ख0न0 4005/2 रकबा 0–10–00बिस्वा में स्व0 नंदराम वल्द तेजा जाट के हिस्से की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सर्व श्री सांवरलाल ,हरचन्द,पिता नंदराम व शेरी पुत्री नंदराम तथा मु0 पारसी पत्नि स्व0 नंदराम के साथ साथ वादीगण राजमल पुत्र रणजीत व नीतु पुत्री रणजीत दोनों जाति जाट को 1/5 हिस्से से सहखातेदार एवं काबिज काश्त खातेदार धोषित किया जाता है। इसी प्रकार खाता संख्या 802, कुल खसरा किता 4 रकबा 8–09–00 बीघा भूमि जो नंदराम वल्द तेजा जाट की तन्हा खातेदारी की भूमियां है इनमें भी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ साथ वादीगण राजमल एवं नीतु पिता रणजीत को 1/5 हिस्से से सहखातेदारी काबिज काश्त खातेदार धोषित किया जाता है। तथा यथानुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम लगाये जाने के आदेश पारित कियें जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के हिस्से की भूमियो में दखलंदाजी करने व कराने तथा भारग्रस्त हस्तांतरण आदी करने से विषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8–12–16 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:20:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: